न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 39 / 2014

RCMS No. 2014/00101

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:--**
1 पारससिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन		1. ग्राम पंचायत सिरीयारी 2. श्रवणसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति रावणा राजपूत निवसी सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक:-- 11/5/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सिरीयारी द्वारा मिसल संख्या 14 / 2010, संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.12.2010 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6798 दिनांक 25. 03.2011 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की पुश्तैनी भूमि है, जो पूर्व में धूलसिंह की थी। धुलसिंह के तीन पुत्र हरिसिंह (प्रार्थी के पिता0189, सुखसिंह व अप्रार्थी संख्या 2 के दादा सोहनसिंह का संयुक्त कब्जा एवं रहवास था। इनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी, सुखसिंह के पुत्र ओगडसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पिता लक्ष्मणसिंह का संयुक्त पैतृक सम्पति की हैसियत से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि का बंटवाडा नहीं हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए अपने पिता लक्ष्मणसिंह के जीवित रहते ही उपरोक्त शामलात मकान का बिना बंटवाडा करवाये विशिष्ठ भूमि का पट्टा प्रार्थी एवं अन्य हिस्सेदारों के अधिकारों के विरूद्ध करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचों की मौका रिपोर्ट हेतु जिन वार्ड पंचो को नियुक्त किया, उनके द्वारा उक्त रिपोर्ट तैयार ही नहीं की गई तथा सरपंच एवं उप सरपंच द्वारा पंचायत में बैठकर ही रिपोर्ट तैयार की है। उक्त रिपोर्ट में पंचो की कोई राय ही अंकित नहीं है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नियम 147 के तहत अन्तिम विनिश्चिय

अति. जिला कलेक्टर, पाली

भी नहीं किया तथा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी आज्ञा जारी करने से पूर्व एक माह का आपत्ति इश्तिहार भी जारी नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस रमजु खां द्वारा चस्पा करना बताया है, जबकि रमजु खां नामक कोई व्यक्ति पंचायत का कर्मचारी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उक्त नोंटिस ग्राम पंचायत द्वारा चस्पा नहीं किया गया। उक्त नोटिस किनके समक्ष, किस स्थान पर चस्पा किया गया, अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत को प्रार्थी व अन्य हिस्सेदारों की संयुक्त शामलात रहवासीय मकान में से विशिष्ठ हिस्से का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी करने से पूर्व प्रार्थी व अन्य हिस्सेदारान को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया तथा न ही सुना गया। बिना सुने ही पैतृक सम्पति के विशिष्ठ हिस्से का प्रार्थी व अन्य सहहिस्सेदारों के हक अधिकारों के विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। जैर निगरानी आज्ञा के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिये गये आवेदन से भी स्पष्ट नहीं है कि उसने संयुक्त शामलात उपरोक्त रहवासीय मकान में से किस विशिष्ठ हिस्से का पट्टा बनाने का आवेदन किया। उसके बावजूद भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं होने के बावजूद भी उपरोक्त संयुक्त शामलात मकान के विशिष्ठ हिस्से का पट्टा प्रार्थी एवं अन्य हिस्सेदारान् के अधिकारों के विरूद्ध जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। स्थल नक्शा आवेदन के साथ नहीं होने से ग्राम सेवक को स्थल निरीक्षण कर स्थल नक्शा बनाने हेतु पंचायत में निर्देशित होना अंकित है, किन्तु ऐसा स्थल निरीक्षण करने के पश्चात स्थल निरीक्षण आवेदक की उपस्थिति में तैयार करने का नियम 145 (3) में आज्ञापक प्रावधान है, किन्तु ग्राम सेवक ने आवेदक की अनुपस्थिति में पंचायत कार्यालय में उक्त नक्शा तैयार करना स्पष्ट है, क्योंकि उक्त स्थल निरीक्षण में न तो आवेदक की उपस्थिति के हस्ताक्षर है तथा न ही सही अडौस पडौस अंकित है, जो अडौस पडौस जैर निगरानी पट्टे व गवाहों के बयान आदि में अंकित है तथा स्थल निरीक्षण नक्शा पर सरपंच के हस्ताक्षर होने से स्पष्ट है कि यह कार्यालय में ही तैयार किया गाय है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि के पश्चिम दिशा में पारससिंह पुत्र हरिसिंह का मकान दर्शित कर उपरोक्त संयुक्त शामलात पैतृक रहवासीय मकान का विशिष्ठ हिस्से का बिना बंटवाडा करवाये जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया कि उक्त भूमि अप्रार्थी के दादा सोहनसिंह के हिस्से की भूमि थी, जिसका पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी किया गया है। इसी प्रकार प्रार्थी के बडे पिता सुखसिंह के हिस्से की भूमि का पट्टा उनके पुत्र ओगडसिंह पुत्र सुखसिंह जाति रावणा राजपूत के नाम मिसल संख्या 15/2010 में पट्टा संख्या 2 दिनांक 25.03.2011 को जारी किया गया है। जिसे प्रार्थी द्वारा छुपाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। प्रार्थी ने फोटोग्राफ पेश किये है, उसमें भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने जो शौचालय बताया, वह 3 वर्ष पूर्व प्रार्थी के पट्टासुदा मकान के आगे आम रास्ते पर बना दिये, जिनको प्रोटेक्ट करने के आशय से यह निगरानी अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। प्रार्थी ने यह गलत कथन अंकित किया कि

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उक्त भूमि का विभाजन नहीं हुआ है, जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त पुश्तैनी परिसर का बंटवाडा हुए लगभग 50 वर्ष हो गये है तथा पोल जो कि 27 फुट चौडी है, जिसमें से 9 फुट प्रार्थी के हिस्से में, 9 फुट ओगडसिंह के हिस्से में तथा शेष 9 फुट प्रार्थी के हिस्से में आई है। इसी अनुरूप ओगडसिंह का भी पट्टा जारी हुआ है। प्रार्थी द्वारा जो अनियमितताओं का जिक्र किया है, वह निगरानी का आधा नहीं है। प्रार्थी ने मात्र यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पोल के दो दरवाजे है तथा पोल के तीन बंट होते है, तो दरवाजे दो कैसे हो सकते है तथा इस आधार पर फोटोग्राफ पेश कर निगरानी का आधार बनाया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निगरानी का स्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता, प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाया है तथा स्वच्छ हाथों से निगरानी पेश नहीं की है। अप्रार्थी संख्या 2 एवं ओगडसिंह पुत्र सुखसिंह का पट्टा संख्या 2 में वर्णित भाग का कुल क्षेत्रफल 18 फुट होता है, जिसमें 9 फुट अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में आता है तथा शेष 9 फुट भूमि ओगडसिंह के हिस्से में आती है, उक्त 18 फुट भूमि का एक ही दरवाजा रखा गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वास्तविक तथ्यों की जांच कर विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सिरीयारी द्वारा मिसल संख्या 14/2010, संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.12.2010 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6798 दिनांक 25.03.2011 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी आज्ञा की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सिरीयारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया तथा रसीद संख्या 42 दिनांक 07.02.2010 के जरिये देय शुल्क जमा करवाया। इस पर दिनांक 05.07.2010 को पंचायत कोरम की सम्मति से मिसल कायम की जाकर ग्राम सेवक को नक्शा तैयार करने तथा तीन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 की उपस्थिति में वांछित भूमि का नक्शा तैयार किया तथा पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया।पंचायत कोरम की बैठक दिनांक 20.07.2010 में नक्शा तथा पंचो की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने का अन्तरिम आदेश पारित किया जाकर नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेशों की पालना में दिनांक 20.07.2010 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो दो स्वतन्त्र व्यक्तियों के समक्ष मौके पर चस्पा किया गया। निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात दिनांक 21.09.2010 को पंचायत कोरम के समक्ष मिसल प्रस्तुत होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के आदेश पारित किए, जिसकी पालना में गवाह गोरधनसिंह पुत्र रूपसिंह तथा रामसिंह पुत्र नवलसिंह के बयान कलमबद्ध किए गए। गवाहों ने उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 की पुश्तैनी होना बताया तथा मोके पर पुराना मकान निर्मित होना बताया। इसके पश्चात पंचायत कोरम की बेठक दिनांक 05.12.2010 को नियम 157 (ख) के तहत 200/– रूपये शुल्क लेकर अप्रार्थी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 25.03.2011 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निर्धारित राशि पंचायत में जरिये रसीद संख्या 71 दिनांक 25.03.2011 जमा करवाने पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया।

प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी का मुख्य आधार यह लिया गया है कि उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थी का भी उक्त भूमि में हक अधिकार निहित है, इस कारण पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि विरूद्ध है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी। इस परिप्रेक्ष्य में हक अधिकारों का निर्धारण निगरानी के Scope में शुमार नहीं होता तथा न ही उसके परीक्षण हेतु यह न्यायालय सक्षम है। प्रार्थी को अपने हक अधिकारों के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही किया जाना ही समुचित उपचार है। हस्तगत प्रकरण का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विहित प्रक्रिया की पूर्णतः पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, सिरीयारी द्वारा मिसल संख्या 14/2010, संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.12.2010 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6798 दिनांक 25.03.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली